आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 12/2019–2020

प्रमोद कुमार वनाम् पंकज सिंह एवं अन्य

आदेश

13/04/19

आवेदक प्रमोद कुमार, पिता–स्व० नन्दलाल सिंह, बृजलाल सिंह, पिता–स्व० खदेरन सिंह, ग्राम–पान विगहा, थाना–करपी, ओ० पी०–शहर तेलपा, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का सिमांकन कराने, पिलरींग करावाने एवं नापी उपरान्त पिलर गड़वाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
111	2829 2833 2836	12 डी०	उत्तर–भगवतीया देवी दक्षिण–डोमा राजवंशी पूरब–प्रथम पक्ष का मकान पश्चिम–बिनोद राजवंशी

अवस्थित मौजा–पान विगहा, थाना–करपी, ओ० पी० शहर तेलपा, अंचल–करपी, जिला–अरवल

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 और 02 उपस्थित हुए, प्रतिवादी संख्या–03 और 04 को निबंधित डाक से सूचना भेजा गया परन्तु न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादी संख्या–01 न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए किन्तु अपना पक्ष नही रखा। प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित रहे जिसे वाद की सुनवाई की गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदकगण की खतियानी भूमि है, जिसका डिमाण्ड वादीगण के दादा खदेरन सिंह उर्फ मुनीलाल सिंह के नाम से कायम है तथा राजस्व का भुगतान कर रहे है।

(2) प्रतिवादीगण मेरे खतियानी भूमि को अवैध ढ़ग से मकान एवं परती जमीन को कब्जा करना चाहते है तथा मेरे भूमि में मकान बनाना चाहते है तथा जबरदस्ती जमीन के कुछ अंश को हड़पे हुए है।

(3) वादीगण का मकान गिर गया है वह नापी कराकर मकान बनाना चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण नापी करने नही देते है।

(4) विवादित भूमि को लेकर न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के यहॉ धारा 144 द०

प्र० सं० की कार्यवाई चली थी जिसमें वादीगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

(5) वादीगण का वंशावली निम्न है:–

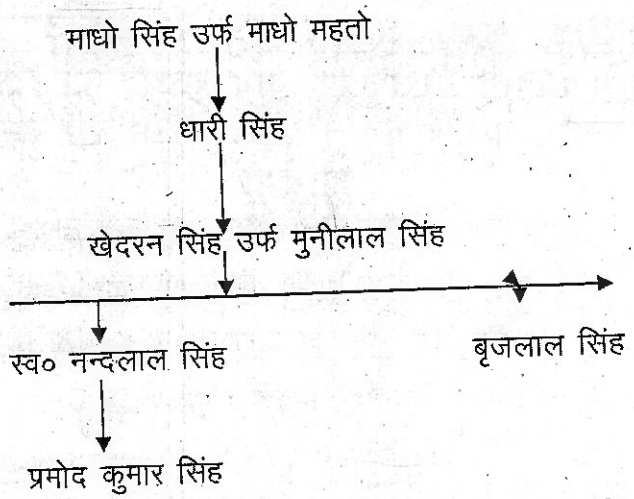

(6) वादीगण गिरे मकान को बनाना चाहते है जिसे प्रतिवादीगण अपना भूमि बताते है जबकि प्रतिवादीगण का भूमि है ही नही जिसें जबदरदस्ती कब्जा कर लिये है।

(7) वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–01 के बीच समझौता हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या–01 ने विवादित भूमि को कोई लेना देना नही है यदि उक्त भूमि पर वादीगण नापी कराते है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

(8) विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा रहा है लेकिन कुछ भूमि के अंश पर वादीगण को कमजोर समझकर कब्जा कर लिये है तथा वादीगण भूमि का नापी कराना चाहता है तो प्रतिवादीगण नापी कराने से कतराते है।

(9) वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा का नाम एक ही है इसी आधार पर वादीगण के भूमि पर प्रतिवादीगण भूमि पर कब्जा करना चाहते है जबकि उक्त भूमि से संबंधित प्रतिबादीगण के पास कोई कागजात नही है जैसा कि धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट जो न्यायालय में समर्पित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने किया हैं।

प्रतिवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादीगण की वाद दाखिल करने का कोई औचित्य नही है तथा वाद आवश्यक पक्षपात एवं फालतु पक्षकार से ग्रसित है।

(2) वादीगण द्वारा बेइमानी से प्रतिवादी संख्या–02 के मौरूसी जमीन को हड़पने के नियत से

62

वाद लाया है।

(3) विवादित भूमि का खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–2833, 2836 है जिसका कुल रकवा–11 डी० है जो मौजा–बम्भई, टोला–पान विगहा, सर्वे थाना–181, अंचल–करपी, जिला–अरवल पुराना सर्वे पर्चा प्रतिवादी संख्या–02 के पिता मुनीलाल सिंह के नाम पर दर्ज है।

(4) प्रतिवादी संख्या–02 का वंशावली निम्न है:–

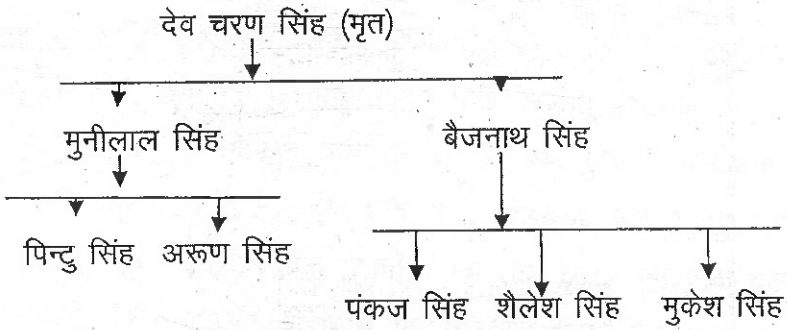

(5) पर्चाधारी रैयत मुनीलाल सिंह के मृत्यु दोंनों पुत्रों के संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में हो गई उनके मृत्यु उपरान्त दोंनों भाईयों के बीच कुल संपति जिसमें विवादित भूमि शामिल है को आपसी सहमति से खानगी डयोढ़बंदी बॉटवारा से अलग–अलग हो गये जिसमें विवादित भूमि में मुनीलाल सिंह एवं बैजनाथ सिंह को 5.2 डी० एवं 5.2 डी० मिला जिसपर दोंनों भाई अपने हक और हिस्से के मुताविक दिये गये संपतियों पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में आये एवं अपने–अपने मनोकुल उपयोग करने लगें।

(6) बॉटवारा में प्राप्त सम्पतियों का विधिवत दाखिल खारिज अंचल कार्यालय में प्रतिवादी संख्या–02 के पिता मुनीलाल सिंह दाखिल खारिज कराकर राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे है।

(7) अंचल कार्यालय, करपी में नया सर्वे चकबंदी के दौरान विवादित भूमि पर प्रार्थी प्रतिवादी के पिता का दखल कब्जा पाकर पुराना खाता संख्या–111 को नया खाता–135 बनाया और पुराना प्लॉट संख्या–2833 से 3530 कुल रकवा–04 डी० बनाया एवं इसी पुराना खाता–111 से नया खाता 435 एवं पुराना प्लॉट 2836 से नया प्लॉट–351 सहन बनाते हुए प्रार्थी के पिता के नाम नया सर्वे पर्चा निर्गत किया है।

(8) वादीगण द्वारा दायर वाद बिलकुल झूठा, मनगढ़त बेबुनियाद काल्पनिक एवं सत्यता से परे है। वादीगण विवादित भूमि पर होने का दस्तावेज राजस्व रसीद एवं डिमाण्ड कायम रहने के आधार पर हक–हकियत अधिकार प्राप्त नही हो जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को अस्वीकृत कर वाद खारिज

करने का अनुरोध किया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 को सुना। वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने खतियान के आधार पर दावा कर रहे है जो माधो महतो, पिता–फेकु महतो के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा जमींदारी लगान रसीद वर्ष 1970–1971 का सरकारी लगान रसीद एवं रैयती खतियान का छायाप्रति जो मुनीलाल सिंह, पिता–देव चरण सिंह के नाम निर्गत है दाखिल किया है। आवेदक द्वारा आवेदक में वंशावली के संबंध में यह साबित नही कर पाये है कि प्रतिवादीगण इनके वंश–वृक्ष में नही है, जबकि इनके द्वारा राजस्व रसींद 18 डी० का दाखिल किया गया। विवादित भूमि को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 144 द० प्र० सं० वाद संख्या–114/2018 में अंचल अधिकारी, करपी का पत्रांक 683 दिनांक 26.09.19 द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि " पिन्टू सिंह द्वारा प्रस्तुत कागजात 12.05.1951 का जमींदारी लगान रसीद 1970–1971 का सरकारी लगान रसीद 2018–2019 एवं रैयती खतियान का छायाप्रति जिसमें खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–2833 एवं 2836 मुनीलाल सिंह के नाम पर निर्गत है एवं ग्रामीणों द्वारा पुछताछ करने पर बताया कि 80–90 वर्षो से आवेदक के बाप–दादा के समय से आवेदक का भूमि पर दखल कब्जा है " जबकि प्रतिवादी संख्या–01 पंकज सिह, पिता–बैजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 19.03.2019 को न्यायालय में वादी के साथ संधि आवेदन दाखिल किया है। विवादित भूमि हक–हकियत से संबंधित है जिसे मॉगे गये अनुतोष इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 876 (8)/रा० दिनांक 27.11.2018 के अनुसार रैयती भूमि पर किसी व्यक्ति का दावें का प्राख्यापन करने का मात्र अधिकार सक्षम व्यवहार न्यायालय को है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आवेदकगण यदि चाहे तो अपने दावें के समर्थन में सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

17/11/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

17/11/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।